संख्या-6/2019/545/सात-न्याय-2-2019-36जी/2013टीसी

प्रेषक,

दिनेश कुमार सिंह-।।,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिबंधक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

न्याय अनुभाग-2(अधीनस्थ न्यायालय) लखनऊः दिनांक 08 मार्च, 2019

विषयः- महिलाओं के विरूद्व कारित अपराधिक मुकदमों को शीघ्र निस्तारित करने हेतु प्रत्येक जनपद में एक-एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निबंधक (न्यायिक) (सेवाएं), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-566/Main-B/FTC/Admin. (A-3) दिनांक 11.01.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय महिलाओं के विरूद्ध अपराधिक मुकदमों को शीघ्र निस्तारित करने हेतु द्वितीय चरण में महिलाओं के विरूद्ध अपराधिक मुकदमों को त्वरित निस्तारण के लिये उ0प्र0 के प्रत्येक जनपद में न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर के 01-01 फास्ट ट्रैक कोर्ट हेतु कुल 81 न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय तथा उनके सर्पोटिंग स्टाफ के लिये कुल 648 पद, जिनका विवरण निम्नवत् है, इस आदेश के जारी होने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 29 फरवरी, 2020 तक यदि बिना किसी पूर्व सूचना के पहले ही न समाप्त कर दिये जायें, स्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रूपये)
1	2	3	4
1	सिविल जज (जू0डी0)	81	27700-770-35090-920 40450-1080-44770
2	आशुलिपिक ग्रेड-3	81	5200-20200 ग्रेड पे-2800/- लेवल-5
3	वरिष्ठ सहायक	162	5200-20200 ग्रेड पे-2800/- लेवल-5
4	कनिष्ठ सहायक	162	5200-20200 ग्रेड पे-2000/- लेवल-3
5	अर्दली	81	आउट सोर्सिंग के माध्यम से
6	कार्यालय चपरासी	81	आउट सोर्सिंग के माध्यम से
	कुल योग (छः सौ अडतालीस)	648	

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इन पदों के धारकों को महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते उस सीमा तक प्राप्त होंगे, जिस सीमा तक समय-समय पर लागू नियमों एवं राजज्ञाओं द्वारा वे उसके अधिकारी होंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्यय अनुदान संख्या-42 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक ''2014-न्यायालय-03-जिला तथा सेशन्स न्यायाधीश तथा 108-दण्ड न्यायालय-03-नियमित अधिष्ठान'' की सुसंगत इकाईयों के नाम डाला जायेगा।

4- ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-380/दस-2019, दिनांक 06 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दिनेश कुमार सिंह-।।)
प्रमुख सचिव।

संख्या-6/2019/545/सात-न्याय-2-2019,तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1-महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी/आडिट-2, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
3-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4-समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5-वित्त (ई-12)अनुभाग। (तीन प्रतियों में)
6-वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1/2
7-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8-न्याय अनुभाग-9/नियुक्ति अनुभाग-4
9-गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विपिन कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।